अनाराम बनाम भैराराम
2023/226
निर्णय दिनांकः–30.05.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023/226 दर्ज तिथिः–05.09.2023

1. अनाराम पुत्र चेनाराम
2. चुनाराम पुत्र चेनाराम
3. मुकेश पुत्र चेनाराम
4. खेतू पत्नी चेनाराम

जाति जाट निवासी आदर्श लूखू, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. भैराराम पुत्र कुम्भाराम

जाति जाट निवासी आदर्श लूखू, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

2. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा धोरीमना
3. तहसीलदार/उपपंजीयक धोरीमन्ना

..................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–30.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश [illegible] न किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 110/16187 है [illegible] खसरा संख्या 128/2.2905 है बा. सोयम वाके ग्राम आदर्श लूखू पटवार हल्का लूखू [illegible] ल धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त [illegible] प्रतिवादीगण असल [illegible] शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है [illegible] संयुक्त आराजी में वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्रदर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 02 को सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गइ। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में दिनांक 01.05.2025 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू—धारक तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक/भू. अ/2025/1082 दिनांक 01.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। अभिभाषकगण वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी पक्ष द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने भू.अ./2025/1082 दिनांक 01.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 04.03.2025 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में वादी व समस्त प्रतिवादीगण को कार्यालय तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना द्वारा नोटिस क्रमांक 673 से 677 दिनांक 20.02.2025 के द्वारा मौका निरीक्षण हेतु मौका निरीक्षण की दिनांक 04.03.2025 के बारे पूर्व सूचित किया गया जाकर [illegible] पक्षकार मौके पर उप[illegible] रहे। उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 110/1.6187 है0 व खसरा संख्या 123/2.2905 है वा.सोयम वाके ग्राम आदर्श लूखू पटवार हल्का लूखू ,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारातकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करे तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 110/1.6187 है0 व खसरा संख्या 123/2.2905 है बा.सोयम वाके ग्राम आदर्श लूखू पटवार हल्का आदर्श लूखू ,तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
अनाराम पुत्र चैनाराम खेतू देवी पत्नी चैनाराम चूनाराम पुत्र चैनाराम मुकेश पुत्र चैनाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	1/4 1/4 1/4 1/4	110 123	0.7446 1.2100	बा.सो. बा.सो.	पीला
		2	1.9546	बा.सो.	
भैराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट सा.देह खातेदार		110 123	0.8741 1.0805	बा.सो. बा.सो.	हरा
		2	1.9546	बा.सो.	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

30/5/2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2023/226 दर्ज तिथिः–05.09.2023

1. अनाराम पुत्र चेनाराम
2. चुनाराम पुत्र चेनाराम
3. मुकेश पुत्र चेनाराम
4. खेतू पत्नी चेनाराम

जाति जाट निवासी आदर्श लूखू, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर

..................वादी

बनाम

1. भैराराम पुत्र कुम्भाराम

जाति जाट निवासी आदर्श लूखू, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

..................असल प्रतिवादीगण

2. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा धोरीमना
3. तहसीलदार/उपपंजीयक धोरीमन्ना

...................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
प्रतिवादीः– एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 110/1.6187 है0 व खसरा संख्या 123/2.2905 है. बा.सोयम वाके ग्राम आदर्श लूखू पटवार हल्का आदर्श लूखू ,तहसील [illegible] जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे [illegible] लिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य [illegible]जस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अ[illegible] किये जाने के आदेश तहसीलदार [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म	बरंग
अनाराम पुत्र चैनाराम खेतू देवी पत्नी चैनाराम चूनाराम पुत्र चैनाराम मुकेश पुत्र चैनाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	1/4 1/4 1/4 1/4	110 123	0.7446 1.2100	बा.सो. बा.सो.	पीला
		2	1.9546	बा.सो.	
भैराराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट सा.देह खातेदार		110 123	0.8741 1.0805	बा.सो. बा.सो.	हरा
		2	1.9546	बा.सो.	

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 30.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

30/5/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:02:40 IST
Reason: SelfAttested